

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधीनगर, जयपुर।

क्रमांक—एफ.1(1)( )स्था/आईसीडीएस/18/ 144967-981

जयपुर, दिनांक 10/8/18

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/बीकानेर/चुरु/

दौसा/धौलपुर/डूंगरपुर/जयपुर/झालावाड/

जोधपुर/करौली/नागौर/सवाई माधोपुर/उदयपुर।

विषय:— बाल विकास परियोजनाओं के पुननिर्धारण के फलस्वरूप नवसृजित परियोजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:— विभाग का आदेश क्रमांक 101447 दिनांक 7-6-18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा विभाग के अधीन संचालित बाल विकास परियोजनाओं के पुननिर्धारण के फलस्वरूप संलग्न विवरणानुसार नवसृजित परियोजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त परियोजनाओं के निकटस्थ परियोजना कार्यालय के बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं एक अथवा दो कार्मिकों को नवसृजित परियोजनाओं का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाकर उन्हें प्रारम्भ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर नवसृजित परियोजनाओं के संचालन सम्बन्धी पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाएं।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज. जयपुर